बिहार विधान सभा सचिवालय

आह्वान-पत्र

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-02/2021- 108 /वि०स० ।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रीगण सहित)

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

महोदय / महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार के महामहिम राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान सभा को सभा वेश्म, पटना में दिनांक 19 फरवरी, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है ।

इस संबंध में महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के आलोक में संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)01-01/2021-68, दिनांक-20.01.2021 की प्रति पार पृष्ठ पर अंकित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-3 के अधीन मैं आपसे उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ ।

विश्वासभाजन,

Raj 22.1.21

(राज कुमार सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक- 20.01.2021

संख्या-सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)01-01/2021-68/ बिहार राज्यपाल का दिनांक 20.01.2021 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 19 फरवरी, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ ।

फागू चौहान,
राज्यपाल, बिहार ।''

पटना
दिनांक 20-01-2021

ह०/-
(सुरेश पासवान)
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-02/2021- 109 /वि०स० ।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रीगण सहित)

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

विषय:- भारत के संविधान के अधीन गठित सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र (फरवरी-मार्च, 2021) का औपबंधिक कार्यक्रम ।

महोदय/महोदया,

सभा सचिवालय के पत्रांक कार्य०का०सू०-02/2021- 108 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 के क्रम में निदेशानुसार मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र में होने वाली सभा की बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गयी है:-

1. तिथि 19 फरवरी, 2021 को 11.30 बजे पूर्वा० में भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) सह पठित बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-6 के अधीन बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सैन्ट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तत्पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) सह पठित बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-140 के अर्न्तगत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी तथा आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण होगा । तदुपरान्त शोक प्रकाश लिए जायेंगे ।

2. तिथि 22 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन होगा, तदुपरान्त महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा ।

3. तिथि 23 फरवरी, 2021 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा ।

4. तिथि 24 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा ।

5. तिथि 25 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर होगा ।

6. तिथि 26 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन होगा ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176 (6) परन्तुक के साथ वाचित नियम-24 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्तावों की सूचना देने की अन्तिम तिथि 24 फरवरी, 2021 (3.00 बजे अप० तक सचिव के कार्यालय कक्ष) नियत की गयी है ।

7. तिथि 01 मार्च, 2021 से तिथि 16 मार्च, 2021 तक आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान के लिए निर्धारित है । इसपर कटौती प्रस्ताव की सूचना देने की अंतिम तिथि के संबंध में सूचनाएँ बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-173 (3) के साथ वाचित नियम-24 के अन्तर्गत अलग से परिचारित की जा रही है ।

8. तिथि 17 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर होगा ।

9. तिथि 18 एवं 23 मार्च, 2021 को राजकीय विधेयकों का व्यवस्थापन होगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

(गैर सरकारी संकल्प)

10. तिथि 19 एवं 24 मार्च, 2021 गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) के लिए नियत की गई है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-150 के अनुसार गैर सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि गैर सरकारी संकल्प के व्यवस्थापन हेतु नियत तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है ।

अतएव तत्प्रयोजनार्थ केवल वे ही संकल्प (गैर सरकारी) लिए जायेंगे जिनके संबंध में सूचनाएं निम्न अनुसूची में उल्लिखित तिथि तक प्राप्त हो जाए:-

अनुसूची

गैर सरकारी संकल्प के लिए नियत दिनांक	संकल्प की सूचना देने के लिए अंतिम दिनांक	शलाका के लिए नियत दिनांक
शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2021	बृहस्पतिवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 को 3.00 बजे अप० तक	शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021 (5.00 बजे अप०)
बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021	मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 को 3.00 बजे अप० तक	बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021 (5.00 बजे अप०)

मैं इस संबंध में आपका ध्यान बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-151 की ओर भी आकृष्ट करता हूँ जिसके अनुसार किसी सदस्य को गैर सरकारी संकल्पों के निबटाव के निमित निश्चित हर दिन के लिए एक से अधिक संकल्प की सूचना नहीं देने का प्रावधान है ।

11. प्रश्न-

(क) प्रश्नों की सूचनाएँ देने के लिए चक्रानुवर्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है ।

(ख) विगत सत्रों में अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

12. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथियाँ ऐसे परिवर्त्तनों के अधीन है, जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जाये अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखाए जायँ ।

13. यदि किसी कारणवश तिथि 24 मार्च, 2021 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ, तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि सभा सचिवालय से समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात को अवश्य साथ लाने की कृपा करेंगे जो सत्रावधि में निदेश के लिए आपको आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन,
Raj Kr 22.1.21
(राज कुमार सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 109 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021- 109 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक / उप सचिवगण / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/01/21

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-03/2021- 117 /वि०स० ।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रीगण सहित)

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

महोदय/महोदया,

बिहार के राज्यपाल से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 19 फरवरी, 2021 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।

पटना
दिनांक- 20-01-2021

ह०/- फागू चौहान
राज्यपाल, बिहार ।

विश्वासभाजन,

Raj kr 22.1.21
(राज कुमार सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 117 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना / प्रधान सचिव एवं संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 117 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- समाचार सम्पादक / ब्यूरो प्रमुख, आकाशवाणी, पटना / दूरदर्शन केन्द्र, पटना / टाईम्स ऑफ इन्डिया, पटना / दि हिन्दुस्तान टाईम्स, पटना / हिन्दुस्तान, पटना/ दैनिक जागरण, पटना / दैनिक भास्कर, पटना / राष्ट्रीय सहारा, पटना / प्रभात खबर, पटना / आज, पटना / ब्यूरो प्रमुख, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इन्डिया (वार्त्ता), पटना / ब्यूरो प्रमुख, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इन्डिया (भाषा), पटना / सन्मार्ग, पटना / कौमी तंजीम, पटना / संगम डेली / यू०एन०आई०, पटना / एबीपी न्यूज / स्टार न्यूज / आज तक / जी०टी०भी० / एन०डी०टी०वी० / रोजाना / जी पुरवईया / इनविजन / सहारा टी०वी० / न्यूज 18 (ई०टी०वी० बिहार-झारखण्ड) / आज तक / न्यूज 24 / सहारा समय / एन०डी०टी०वी० / जी० न्यूज / टाइम्स नाऊ / रिपब्लिक टी०वी० / इंडिया न्यूज / जी०(बिहार/झारखण्ड) / कशिश न्यूज / न्यूज इंडिया / इंडिया टी०वी० / न्यूज नेशन को सूचनार्थ एवं प्रकाशन/प्रसारण हेतु प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 117 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 117 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक / उप सचिवगण / मुख्य प्रतिवेदक / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/1/21

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-03/2021- 120 /वि०स० ।

प्रेषक,

राजीव कुमार,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रीगण सहित)

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

विषय:- महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर यातायात नियंत्रण के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

दिनांक- 19 फरवरी, 2021 को बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर यातायात नियंत्रण के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सभा भवन की प्रसीमा में प्रवेश करने हेतु सभी द्वार उस दिन 11.15 बजे पूर्वाह्न में यथापूर्व की भांति इस बार भी बन्द हो जायेंगे ।

2. यदि कोई सदस्य, पूर्वाह्न 11.15 के पश्चात आयेंगे तो वे सभा भवन के मुख्य बरसाती होकर सभा भवन में प्रवेश करेंगे और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में अपना स्थान ग्रहण करेंगे तथा अपनी गाड़ियों को पूरब वाले फाटक के बाहर मैदान में लगाने की कृपा करेंगे ।

इसमें आपका सहयोग प्रार्थित है ।

विश्वासभाजन,
ह० 22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 120 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय), बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 120 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 120 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- मार्शल / अवधायक शाखा, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-03/2021- 120 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण / उप सचिवगण को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

भारत के संविधान के अधीन गठित सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

फरवरी-मार्च, 2021

शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 2021	1. भारत के संविधान के अनुच्छेद- 176(1) के अधीन 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण । 2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो) । 3. आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण । 4. शोक प्रकाश (यदि हो) ।
शनिवार, दिनांक 20 फरवरी, 2021 रविवार, दिनांक 21 फरवरी, 2021	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021	1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन । 2. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद ।
मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर ।
बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021	1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन । 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श ।
वृहस्पतिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर ।
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021	वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक ।
शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2021 रविवार, दिनांक 28 फरवरी, 2021	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 वृहस्पतिवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान ।
शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 रविवार, दिनांक 07 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021 बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान ।

वृहस्पतिवार, दिनांक 11 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि)
शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान।
शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2021 रविवार, दिनांक 14 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान।
बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर।
वृहस्पतिवार, दिनांक 18 मार्च, 2021	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।
शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2021	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।
शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 2021 रविवार, दिनांक 21 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी। (बिहार दिवस)
मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2021	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।
बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण--	**1 कार्य दिवस**
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद--	**2 कार्य दिवस**
2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श---	**2 कार्य दिवस**
2020-21 के द्वितीय अनुपूरक का व्यवस्थापन--	**1 कार्य दिवस**
वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक--	**11+1= 12 कार्य दिवस**
राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य--	**2 कार्य दिवस**
गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)--	**2 कार्य दिवस**
कुल बैठक--	**22 कार्य दिवस**

دستور ہند کے تحت تشکیل شدہ سترہویں بہار قانون ساز اسمبلی کے دوسرے اجلاس کا عارضی پروگرام

فروری۔ مارچ، 2021

جمعہ، مورخہ 19 فروری، 2021	1-	دستور ہند کی دفعہ (1)176 کے تحت 11:30 بجے دن میں بہار قانون سازیہ کے توسیعی عمارت کے سنٹرل ہال میں بہار قانون سازیہ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست میں عزت مآب گورنر کا خطبہ۔
	2-	بہار قانون سازیہ کے اجلاس میں نہیں رہنے کی مدت میں عزت مآب گورنر کے ذریعہ مشتہر فرامین کی مصدقہ کاپیوں کا ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہوں)۔
	3-	اقتصادی سروے کی پیشی۔
	4-	اظہار تعزیت (اگر ہوں)۔
سنیچر، مورخہ 20 فروری، 2021 اتوار، مورخہ 21 فروری، 2021	}	نشست نہیں ہوگی۔
سوموار، مورخہ 22 فروری، 2021	1-	مالی سال 22-2021 کے لئے آمد و خرچ کی پیشی۔
	2-	عزت مآب گورنر کے خطبہ کے شکریہ کی تجویز پر بحث و مباحثہ۔
منگل، مورخہ 23 فروری، 2021		عزت مآب گورنر کے خطبہ کے شکریہ کی تجویز پر بحث و مباحثہ اور سرکار کا جواب۔
بدھ، مورخہ 24 فروری، 2021	1-	مالی سال 21-2020 کے آمد و خرچ سے متعلق دوسرے تتمہ تفصیل اخراجات کی پیشی۔
	2-	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ پر عام تبادلہ خیال۔
جمعرات، مورخہ 25 فروری، 2021		مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ پر عام تبادلہ خیال اور سرکار کا جواب۔
جمعہ، مورخہ 26 فروری، 2021		مالی سال 21-2020 کے دوسرے تتمہ تفصیل اخراجات پر بحث و مباحثہ، سرکار کا جواب اور اُس سے متعلق تصرف بل۔
سنیچر، مورخہ 27 فروری، 2021 اتوار، مورخہ 28 فروری، 2021	}	نشست نہیں ہوگی۔
سوموار، مورخہ 01 مارچ، 2021 منگل، مورخہ 02 مارچ، 2021 بدھ، مورخہ 03 مارچ، 2021 جمعرات، مورخہ 04 مارچ، 2021 جمعہ، مورخہ 05 مارچ، 2021	}	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ کے مطالبات زر پر بحث و مباحثہ اور ووٹنگ۔

سنیچر، مورخہ 06 مارچ، 2021 اتوار، مورخہ 07 مارچ، 2021	نشست نہیں ہوگی
سوموار، مورخہ 08 مارچ، 2021 منگل، مورخہ 09 مارچ، 2021 بدھ، مورخہ 10 مارچ، 2021	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ کے مطالبات زر پر بحث و مباحثہ اور ووٹنگ۔
جمعرات، مورخہ 11 مارچ، 2021	نشست نہیں ہوگی (مہا شیوراتری)
جمعہ، مورخہ 12 مارچ، 2021	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ کے مطالبات زر پر بحث و مباحثہ اور ووٹنگ۔
سنیچر، مورخہ 13 مارچ، 2021 اتوار، مورخہ 14 مارچ، 2021	نشست نہیں ہوگی۔
سوموار، مورخہ 15 مارچ، 2021 منگل، مورخہ 16 مارچ، 2021	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ کے مطالبات زر پر بحث و مباحثہ اور ووٹنگ۔
بدھ، مورخہ 17 مارچ، 2021	مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ سے متعلق تصرف بل پر بحث و مباحثہ اور سرکار کا جواب۔
جمعرات، مورخہ 18 مارچ، 2021	سرکاری بل اور دیگر سرکاری امور۔
جمعہ، مورخہ 19 مارچ، 2021	غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری عہد)۔
سنیچر، مورخہ 20 مارچ، 2021 اتوار، مورخہ 21 مارچ، 2021	نشست نہیں ہوگی۔
سوموار، مورخہ 22 مارچ، 2021	نشست نہیں ہوگی۔ (یوم بہار)
منگل، مورخہ 23 مارچ، 2021	سرکاری بل اور دیگر سرکاری امور۔
بدھ، مورخہ 24 مارچ، 2021	غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری عہد)۔

☆☆☆☆

■ عزت مآب گورنر کا خطبہ	:	01 یوم امور
■ عزت مآب گورنر کے خطبہ پر بحث و مباحثہ	:	02 یوم امور
■ 22-2021 کے آمد و خرچ پر عام تبادلہ خیال	:	02 یوم امور
■ 21-2020 کے دوسرے ضمنی تفصیل اخراجات کی پیشی	:	01 یوم امور
■ مالی سال 22-2021 کے آمد و خرچ کے مطالبات زر پر بحث و مباحثہ اور اس سے متعلق تصرف بل	:	12=11+1 یوم امور
■ سرکاری بل اور دیگر سرکاری امور	:	02 یوم امور
■ غیر سرکاری اراکین کے امور۔ (غیر سرکاری عہد)	:	02 یوم امور
■ کل نشست	:	22 یوم امور

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र

प्रश्नों के लिए चक्रानुवर्तित क्रम

निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 19 फरवरी, 2021 से 24 मार्च, 2021 तक होने वाले द्वितीय सत्र में माननीय सदस्यों के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न सदन में लिए जायेंगे :-

वर्ग	मंत्री	विभाग	निर्धारित तिथियाँ
प्रथम वर्ग (सोमवार)	मुख्यमंत्री / प्रभारी मंत्री	गृह विभाग, वाणिज्यकर विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वियन एवं नागरिक विमानन), निगरानी विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा निर्वाचन विभाग ।	22 फरवरी, 01, 08 एवं 15 मार्च, 2021
द्वितीय वर्ग (मंगलवार)	प्रभारी मंत्री	शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।	23 फरवरी, 02, 09, 16 एवं 23 मार्च, 2021
तृतीय वर्ग (बुधवार)	प्रभारी मंत्री	ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग ।	24 फरवरी, 03, 10, 17 एवं 24 मार्च, 2021
चतुर्थ वर्ग (वृहस्पतिवार)	प्रभारी मंत्री	कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सहकारिता विभाग ।	25 फरवरी, 04 एवं 18 मार्च, 2021
पंचम वर्ग (शुक्रवार)	प्रभारी मंत्री	ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं विधि विभाग ।	26 फरवरी, 05, 12 एवं 19 मार्च, 2021

प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि निम्न प्रकार है :-

"क" तारांकित

वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5
01.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	04.03.2021	05.03.2021

"ख" अल्पसूचित

वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5
08.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	10.03.2021	12.03.2021

नोट:- सभी तिथियों को प्रश्न 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किए जायेंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-प्रश्न विविध-01/2020- 76 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार सरकार / राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार सरकार के सभी विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-प्रश्न विविध-01/2020- 76 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-प्रश्न विविध-01/2020- 76 /वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि:-सभी निदेशक, उप सचिव एवं अवर सचिव / उप सचिव, सूचना शाखा / उप निदेशक / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा / प्रश्न शाखा के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22.1.21

बिहार विधान सभा सचिवालय

शलाकन का कार्यक्रम

सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के कार्यक्रमानुसार माननीय सदस्यों के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना की पूर्वता निर्धारित करने के लिए शलाकन निम्न तालिका के अनुसार सभा भवन स्थित सचिव के कार्यालय कक्ष में 3.00 बजे अपराह्न में होगी :-

प्रश्न वर्ग	मौखिक उत्तर देने की तिथि	अल्पसूचित प्रश्न	तारांकित प्रश्न
वर्ग-1	22.02.2021 01.03.2021 08.03.2021 15.03.2021	18.02.2021 25.02.2021 04.03.2021 10.03.2021	15.02.2021 22.02.2021 01.03.2021 08.03.2021
वर्ग-2	23.02.2021 02.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 23.03.2021	19.02.2021 26.02.2021 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021	17.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 09.03.2021 16.03.2021
वर्ग-3	24.02.2021 03.03.2021 10.03.2021 17.03.2021 24.03.2021	22.02.2021 01.03.2021 08.03.2021 15.03.2021 19.03.2021	17.02.2021 24.02.2021 03.03.2021 10.03.2021 17.03.2021
वर्ग-4	25.02.2021 04.03.2021 18.03.2021	22.02.2021 01.03.2021 15.03.2021	18.02.2021 25.02.2021 12.03.2021
वर्ग-5	26.02.2021 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021	22.02.2021 01.03.2021 08.03.2021 15.03.2021	19.02.2021 26.02.2021 05.03.2021 12.03.2021

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना देने वाले माननीय सदस्य (यदि चाहें तो) प्रश्नों के लिए ऊपर नियत शलाकन की तिथि को उपस्थित हो सकते हैं ।

प्रश्नों के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के उपबंध यथावत लागू रहेगा ।

शलाकन केवल स्वीकृत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का ही होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-प्रश्न विविध-01/2020- 75 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण के सूचनार्थ प्रेषित ।

22.01.21

(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

22.1.21

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-03/2021- 118 /वि०स० ।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रीगण सहित)

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र शुक्रवार दिनांक-19 फरवरी, 2021 को 11:00 बजे पूर्वा० से बिहार विधान सभा के सभा वेश्म में प्रारम्भ होगा । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में 11:30 बजे पूर्वा० में प्रारम्भ होगा ।

सभा वेश्म में 11:00 बजे पूर्वा० की बैठक में प्रारंभिक औपचारिकताओं के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर महामहिम की अगवानी के लिए प्रस्थान करेंगे । आप सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि इस बीच आप विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के तत्काल बाद पुनः आप सभी माननीय सदस्यगण विधान सभा वेश्म में वापस आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे । तत्पश्चात् सदन में आगे के निर्धारित कार्य निष्पादित किये जायेंगे ।

विश्वासभाजन,

Raj Kr 22-1-21
(राज कुमार सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/01/21

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्रश्न विविध-01/2020- 80 /वि०स० ।

प्रेषक,

संजीव कुमार,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

विषय:- बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-83 के आलोक में प्रश्नों की सूचना देने के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-83 में प्रश्न की ग्राह्यता के लिए प्रश्न निम्न शर्तें प्रावधानित हैं :-

1. इसमें संबोधित मंत्री का आधिकारिक पदनाम अथवा यदि प्रश्न गैर-सरकारी सदस्य को संबोधित हो तो उन सदस्य का नाम उल्लेखित रहेगा,
2. इसमें ऐसा कोई नाम या कोई विवरण न रहेगा जो प्रश्न को बोधगम्य बनाने के लिए नितान्त आवश्यक न हो,
3. यदि इसमें कोई विवरण हो तो इसकी परिशुद्धता के लिये सदस्य उत्तरदायी होंगे ,
4. इसमें तर्क, अनुमान, आक्षेप, कटाक्ष, व्यंग या मान-हानिकर कथन न रहेगा,
5. इसमें कोई राय प्रकट करने की या किसी प्रकल्पित प्रतिवादन के हल की मांग न की जायेगी,
6. यह आधिकारिक या सार्वजनिक हैसियत से भिन्न हैसियत में किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण के बारे में न पूछा जायेगा,
7. प्रश्न किसी भी दशा में 150 शब्दों से अधिक का नहीं होगा तथा टंकित अथवा हस्तलिपि में पृष्ठ के केवल एक ही ओर होगा,
8. इसमें परस्पर असम्बद्ध अनेक विषय न रहेंगे,
9. यह उन विषयों से संबंधित न होगा जो अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर हो,
10. इसमें समाचार-पत्रों का निर्देश नाम से नहीं रहेगा, और न यह पूछा जायेगा कि समाचार-पत्र में दिया गया कोई वक्तव्य सही है या नहीं, किन्तु यदि प्रश्नकर्त्ता सदस्य उपर्युक्त शर्त्त (3) की आवश्यकतायें पूरी करें और प्रश्न को स्वत: पूर्ण बनायें, तो ऐसे वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकेंगे,
11. इसमें ऐसी जानकारी न मांगी जायेगी जो सदस्यों के लिए सुलभ लेख्यों में दी गई हो,
12. इसमें प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा उठाये गये विषय के संबंध में किसी खास कार्रवाई के लिए सारत: न तो कोई सुझाव होगा न अनुरोध,

13. जहाँ सिद्धांत की बात हो उसे छोड़कर, यह किसी व्यक्तिगत मामले से संबंधित न होना चाहिए,

14. इसमें नीति संबंधी ऐसे व्यापक प्रश्न न उठाये जायेंगे जो प्रश्न के उत्तर की सीमाओं के भीतर न आ सकें,

15. इसमें ऐसे प्रश्न सारत: दुहराये न जायेंगे जिनके उत्तर दिये जा चुके हों या देना अस्वीकार कर दिये गये हों,

16. इसमें अमहत्वपूर्ण विषयों की जानकारी न माँगी जायेगी,

17. इसका संबंध उस विषय से नहीं होगा जिससे मुख्यत: स्थानीय प्राधिकार का सरोकार है, जबतक कि उसमें सरकार द्वारा कुछ हस्तक्षेप न हुआ हो या हस्तक्षेप के लिए उचित आधार न हो,

18. इसमें ऐसे विषयों के बारे में जानकारी न मांगी जायेगी जो स्वभावत: गोपनीय हो, जैसे मंत्रिपरिषद के विमर्श, अथवा राज्यपाल को ऐसे विषय पर दी गई सलाह जिसके संबंध में कोई जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, परिनियत या पारम्परिक उपबन्ध हो,

19. इसमें किसी ऐसे विषय की जानकारी न माँगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के निर्णयाधीन हो और न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्य सम्पादित करने वाले किसी परिनियत न्यायाधिकरण या परिनियत प्राधिकार के सामने अथवा किसी विषय की जांच या अनुसंसाधन करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित विषयों के बारे में साधारणत: न पूछा जायेगा, किन्तु जांच की प्रक्रिया, विषय- वस्तु या प्रक्रम से संबद्ध किसी बात का निदेश किया जा सकेगा, यदि इसे उस न्यायाधिकरण, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा इस विषय के विचार पर कोई विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना न हो,

20. इसके द्वारा परिनियत या स्वायत्त निकायों से संबंधित किसी विषय की जानकारी न मांगी जायेगी जबतक कि इसमें कोई नीति का विषय निहित न हो या जिसके लिए मंत्री उत्तरदायी न हो, अथवा, जिसका संबंध मंत्री के किसी कारण या अकारण से न हो अथवा जिसमें पर्याप्त लोक महत्व का कोई प्रश्न न उठता हो,

21. कोई प्रश्न उस वाद-विवाद को निर्देश न करेगा जो चालू सत्र में हो चुका है, अथवा उसमें किसी ऐसे उत्तर का भी निर्देश न होगा जो चालू सत्र में दिया जा चुका है,

22. किसी समिति की कार्यवाही के संबंध में, जिसका प्रतिवेदन समिति द्वारा सदन के समक्ष न रखा गया हो, प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त नियमों के आलोक में प्रश्न की सूचना देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

22/01/2021

(संजीव कुमार)
अवर सचिव,
विहार विधान सभा, पटना ।

22.1.21

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्रश्न विविध-01/2020- 81 /वि०स० ।

प्रेषक,

संजीव कुमार,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 ई० ।

विषयः- प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सदन में पूछे जाने वाले अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-83(10) के तहत समाचार पत्रों में प्रकाशित विषय अथवा उसके विवरण पर आधारित हो तो प्रक्रिया नियमावली के नियम-83(3) के तहत इसकी परिशुद्धता सत्यापित करने के क्रम में आपके द्वारा मीडिया खबर आधारित प्रश्नों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में यह अंकित करना अपेक्षित होगा कि "इसके विषय वस्तु के सम्बन्ध में मैंने स्वयं भी छानबीन की है ।"

विश्वासभाजन,
संजीव कुमार 22/01/2021
(संजीव कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-प्रश्न विविध-01/2020- 81 /वि०स०, पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2021 ई० ।

प्रतिलिपिः- निदेशक / उप सचिवगण / अवर सचिवगण एवं प्रश्न शाखा में प्रतिनियुक्त सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकगण, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

संजीव कुमार 22/01/2021
(संजीव कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22.1.21